महेंद्र कुमार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (के. कन्नन, जे)

के कन्नन जे के समक्ष

महेंद्र कुमार सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी

2013 का सीडब्ल्यूपी नंबर 11540

1 दिसंबर 2014

ए.)सेवा कानून - भारत का संविधान, 1950- रिट क्षेत्राधिकार - की प्रकृति - यथास्थिति का नियम - अति विलंब - एलएलबी डिग्री क्या स्नातकोत्तर डिग्री होने के योग्य है क्योंकि यह - स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद प्राप्त की गई है,-अभिनर्धरित नहीं -क्या यथास्थिति गैर-वैधानिक पद के विरुद्ध है जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में वैधानिक न्यूनतम की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, यह एक सार्वजनिक पद नहीं है - हाँ-यथास्थिति वारंटो के मामले में काफी हद तक कम होने का नियम - किसी कार्यालय में एक सूदखोर को खाली करने के लिए अदालत के कर्तव्य को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है वह जिस पद पर है, उसी पद पर है - याचिकाकर्ता उस पद के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता है-लेकिन कोई बाधा नहीं है -अयोग्य व्यक्ति किसी भी लम्बाई तक अपनी स्थिति को वैध नहीं बना सकता है - लेकिन यथास्थिति का दायरा सीमित है और केवल तभी जारी किया जाता है जब नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस आशय के मामले के कानून की प्रधानता है कि सर्टिओरारी के विपरीत, किसी ऐसे व्यक्ति के उदाहरण पर कोई वारंट होना आवश्यक नहीं है जो सीधे प्रभावित होता है। यथास्थिति के मामले में खड़े होने का नियम काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि जिस क्षण कोई व्यक्ति यह बताता है कि सार्वजनिक पद का धारक उस पद को धारण करने के लिए योग्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि किसी कार्यालय में एक सूदखोर को अनुमति नहीं दी जा सकती है। जारी रखें और यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह उसे उसके पद से हटा दे। इसलिए यह तथ्य अप्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता स्वयं इस पद के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं था। लैचेस के मुद्दे को किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि, जब तक कोई नई योग्यता प्राप्त नहीं की गई है, एक व्यक्ति जो एक पद पर है, यदि वह योग्य नहीं है तो वह किसी भी लम्बाई तक अपनी स्थिति को वैध नहीं बना सकता है। लैचेस का मुद्दा भी महत्वपूर्ण नहीं है।

इसके अलावा, हमने कानून की जांच की है कि अधिकार-वारंट केवल एक सार्वजनिक कार्यालय के हड़पने वाले को जारी किया जाता है जो बिना अधिकार के एक पद रखता है और जिसकी नियुक्ति पदों पर कब्जा करने के लिए योग्यता या पात्रता की कमी के कारण संदिग्ध है। मैंने उन सभी निर्णयों की जांच की है जब यथास्थिति वारंट असाधारण रूप से जारी किया जा सकता था और यह माना गया कि वारंटो के लिए रिट याचिका एक सीमित याचिका है जिसे केवल तभी जारी किया जा सकता है जब नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत हो (देखें: **बी. श्रीनिवास रेड्डी बनाम कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड कर्मचारी संघ और अन्य -2006 (11) एससीसी 731**). निर्धारित पात्रता मानदंड एक वैधानिक नियम के संदर्भ में होना चाहिए जो रजिस्ट्रार के लिए

शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता है। प्रॉस्पेक्टस या विज्ञापन में किसी आवश्यकता को स्वयं वैधानिक अधिदेश के रूप में नहीं लिया जा सकता है। बी. श्रीनिवास रेड्डी (सुप्रा) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस आधार पर कोई अधिकार-पत्र जारी नहीं किया जा सकता है कि भले ही नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत नहीं थी, लेकिन यह प्रशासनिक निर्देशों के विपरीत थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर पिछले मामले के कानून का हवाला देते हुए कहा कि यदि कथित उल्लंघन वैधानिक प्रकृति का नहीं है तो यथास्थिति झूठ नहीं बोलती है। हस्तक्षेप के लिए कोई वारंट नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता की चुनौती उस महत्वपूर्ण परीक्षण में विफल रहती है जो उसके पक्ष में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए आवश्यक है, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

बी.) शब्द और वाक्यांश - सार्वजनिक कार्यालय - भारत का संविधान - 1950 अनुच्छेद 311- कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है केस कानून के माध्यम से प्रेरित - लागू होने वाले दो परीक्षण - एक, क्या यह राज्य का कार्यालय है या राज्य के संप्रभु कार्य से जुड़ा उसका पदाधिकारी है -दो, क्या सेवा भारत संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन है यानी, वैधानिक नियमों द्वारा शासित एक नागरिक पद।

अभिनृधारित किया गया कि ऐसे मामले हैं जिनमें "सार्वजनिक कार्यालय" की परिभाषा की जांच की गई है, क्योंकि इसे कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और यह केवल केस कानून के माध्यम से संचालित होता है। ऐसी स्थिति में दो परीक्षण लागू किए गए हैं। एक परीक्षण यह है कि यह राज्य का एक कार्यालय या उसका पदाधिकारी है जो राज्य के संप्रभु कार्य से जुड़ा हुआ है। न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से संप्रभु कार्य स्वयं काफी बड़े पैमाने पर हो गया है,

क्योंकि, रक्षा और विदेशी मामलों के मुद्दों को छोड़कर कोई भी गतिविधि नहीं है जो राज्य के विशेष क्षेत्र में है। प्रत्येक अन्य गतिविधि में निजी उद्यम सक्रिय रूप से सहयोग करता है। यहां तक कि शिक्षा, जो कुछ समय पहले तक केवल राज्य शासन का विशेषाधिकार थी, निजी उद्यम के माध्यम से बड़े पैमाने पर संचालित होने लगी है। स्वास्थ्य के सर्वोत्तम संस्थानों पर अब राज्य का एकाधिकार नहीं रह गया है। शैक्षणिक संस्थानों में निजी विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों ने अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित किया है और शायद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों की तुलना में अधिक अनुसंधान परिणाम दिए हैं। यदि राज्य का संप्रभु कार्य स्वयं उत्तर नहीं दे सकता है, तो दूसरा दृष्टिकोण यह है कि सेवा अनुच्छेद 311 के अधीन है जो कि एक सिविल पद है जो वैधानिक नियमों द्वारा शासित होता है । भले ही एक कुलपति या एक रजिस्ट्रार एक सिविल सेवक नहीं हो सकता है, उसी तरह जैसे राजस्व विभाग में कोई अन्य निम्नतम श्रेणी का सरकारी कर्मचारी या एक तहसीलदार या एक राजस्व निरीक्षक। इस मामले में कानून प्रचलित है कि विश्वविद्यालयों के कुलपति और रजिस्ट्रार का पद वैधानिक कार्यालय है, जिसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाले संबंधित कानून अनिवार्य रूप से निर्धारित करते हैं। इसलिए, यदि एक विश्वविद्यालय एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और यह कार्यालय की श्रेणियां बनाता है या विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयों के कार्यों को चित्रित करता है जो विश्वविद्यालय की प्रशासनिक मशीनरी चलाएंगे, तो यह एक सार्वजनिक कार्यालय के रूप में योग्य होगा।

व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता.

उत्तरदाताओं 1 और 2 के लिए कोई नहीं।

जे.एस. पुरी, वकील, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए।

आशीष बंसल, वकील, प्रतिवादी नंबर 4 के लिए।

के. कन्नन, जे.

(1) यह याचिका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के एक सूचना वैज्ञानिक के कहने पर दायर की गई है, जिसमें चौथे प्रतिवादी को एक कार्यालय का हड़पने वाला घोषित करने और उसे खाली करने के लिए अधिकार वारंट जारी करने की मांग की गई है क्योंकि उसके पास पद नहीं है। तीसरे प्रतिवादी-संस्थान और डीम्ड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का पद संभालने के लिए आवश्यक योग्यताएं यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषित की गई हैं।

(2) याचिकाकर्ता का कहना था कि रजिस्ट्रार के लिए 2004 में जारी विज्ञापन अधिसूचना में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार थी:-

"6. रजिस्ट्रार: (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300) भर्ती का तरीका: सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति आवश्यक योग्यता: कुल अनुभव के साथ किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पॉट ग्रेजुएट/पीएचडी

डिग्री के साथ एक विशिष्ट शैक्षणिक कैरियर वैज्ञानिक अनुसंधान/शिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक और शैक्षणिक गतिविधियों के प्रबंधन में 12 वर्ष। किसी प्रतिष्ठित संगठन में 12,000-375-16,500/- रुपये या समकक्ष के पैमाने पर कम से कम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।"

(3) याचिकाकर्ता का कहना था कि आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी से पता चला है कि उसने एमआर कॉलेज विजयनगरम, आंध्र विश्वविद्यालय से बी.एससी. पास कर लिया है।; बी.एल. लॉ कॉलेज, आंध्र विश्वविद्यालय से, और आर्ट्स कॉलेज, आंध्र विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में डिप्लोमा। जहां तक कॉलम 9 में दिए गए उनके अनुभव का संबंध है, उन्होंने 1988 से 1998 तक वैज्ञानिक प्रभारी की सहायता के रूप में काम किया था, जिसे प्रबंधकीय पद नहीं माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने 17 फरवरी से संस्थान के प्रमुख, अर्थात् प्रिंसिपल की सहायता के रूप में काम किया था। .1998 से 17.09.2001 तक और केवल 19.09.2001 से नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल करने तक, वह संस्थान के प्रशासन और लेखा के प्रभारी रहे थे। उनके अनुसार, शैक्षिक योग्यता में कमी के अलावा, उनके पास प्रबंधन प्रक्रिया में अपेक्षित 12 साल का अनुभव भी नहीं था। याचिकाकर्ता अपने समर्थन में **जूथिका भट्टाचार्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[1] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लाएगा, जहां एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। अदालत को इस मुद्दे पर विचार करना था कि क्या स्नातकोत्तर डिग्री की आवश्यकता में स्नातक के बाद बीटी की डिग्री शामिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया और एलएलबी का एक उदाहरण दिया। फैसले में पैरा 3 में डिग्री भी इस प्रकार है:-

[1] AIR 1976 2534

"हमें सूचित किया गया है कि अध्ययन का बी.टी. पाठ्यक्रम केवल स्नातकों के लिए खुला है और बोलने के तरीके में, "बैचलर ऑफ टीचिंग" की डिग्री को "स्नातकोत्तर" डिग्री कहा जा सकता है, इस अर्थ में कि डिग्री है केवल "स्नातक होने के बाद" प्राप्य। यही वह अर्थ है जिसमें "पोस्ट" शब्द का उपयोग "विवाह के बाद", "प्रैंडियल के बाद", "पोस्ट-ऑपरेटिव", "पोस्ट-मॉर्टम" इत्यादि जैसे भावों में किया जाता है। इन अभिव्यक्तियों में, "पोस्ट" का अर्थ केवल "बाद" है, एक निश्चित समय के बाद किसी घटना के घटित होने पर जोर दिया जाता है, लेकिन "स्नातकोत्तर डिग्री" अभिव्यक्ति ने शैक्षिक दुनिया में एक विशेष महत्व, एक तकनीकी सामग्री प्राप्त कर ली है। बी.टी., या एल.एल.बी. जैसी स्नातक डिग्री को स्नातकोत्तर डिग्री नहीं माना जाता है, भले ही वे डिग्रियाँ स्नातक होने के बाद ही ली जा सकती हैं। शिक्षा की परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण दुनिया में, यह मास्टर डिग्री धारक है जैसे एम.एड. या एल.एल.एम., जो स्नातकोत्तर डिग्री धारक के रूप में मान्यता अर्जित करता है।

(4) सुप्रीम कोर्ट समझा रहा था कि स्नातकोत्तर डिग्री ने विशेष महत्व की अभिव्यक्ति प्राप्त कर ली है और इसे होना भी चाहिए मास्टर डिग्री के रूप में समझा जाए। इसलिए, विवाद यह है हालाँकि ग्रेजुएशन के बाद कानून की डिग्री ली जाती थी, फिर भी ऐसा नहीं हो सका "स्नातकोत्तर डिग्री" अभिव्यक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करें। वह 2011 के मूल आवेदन संख्या 1530, दिनांक 02.11.2011 में **आर.पी. सिंह बनाम सचिव, समाज कल्याण विभाग और अन्य** के मामले पर भी निर्भर है जो इस मुद्दे से निपटता है कि क्या एल.एल.बी. रखरखाव न्यायाधिकरण के गैर-

आधिकारिक सदस्य की नियुक्ति पर विचार के लिए 'स्नातकोत्तर डिग्री' के लिए अर्हता प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए स्नातकोत्तर डिग्री की आवश्यकता होती है।

(5) प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से पेश होने वाला वकील याचिकाकर्ता के मामले में मुख्य आपत्ति उठाएगा, सबसे पहले, कि दूसरा प्रतिवादी एक अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि केवल एक डीम्ड विश्वविद्यालय है और रजिस्ट्रार के लिए उल्लिखित योग्यताएं हैं। किसी भी क़ानून के तहत किसी भी आवश्यकता के अनुसार नहीं थे। यदि यह एक वैधानिक पद नहीं था जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में वैधानिक न्यूनतम आवश्यकता होती है, तो इसे एक सार्वजनिक कार्यालय के रूप में नहीं लिया जा सकता है जो यथास्थिति में चुनौती के लिए उत्तरदायी है। दूसरी आपत्ति यह है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को मास्टर पाठ्यक्रम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में इस तरह की आवश्यकताएं नहीं मांगी गई थीं। वह मुझे एलएलबी समेत 'स्नातकोत्तर' की संज्ञा देते थे। पाठ्यक्रम कई विश्वविद्यालयों की धारणा से है जिन्होंने एलएल.बी. घोषित किया है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने के रूप में। वह दिल्ली विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का उल्लेख करेंगे जो एलएलबी को दर्शाता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के रूप में; आंध्र विश्वविद्यालय जो एलएलबी रिकॉर्ड करता है। 44 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में से; जम्मू विश्वविद्यालय एलएलबी घोषित करता है। उसी तरह से जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की तरह, जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के शीर्षक के तहत स्पष्ट नहीं है। तीसरा, तर्क यह है कि चौथे प्रतिवादी की नियुक्ति 9 साल पहले की गई थी, और याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए इस अदालत में जाने में चूक का दोषी था, जबकि उसे भी नियमित किया गया था और एक के रूप में अपनी योग्यता दिखाई थी। रजिस्ट्रार. आखिरी तर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि एल.एल.बी. क्या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं है, यह मुद्दा नहीं था। उस मामले में, मुद्दा यह

था कि क्या एक व्यक्ति के पास जो बीटी पाठ्यक्रम था, वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम था और एलएलबी। पाठ्यक्रम को इस बात पर विचार करने के लिए चुनौती नहीं दी गई कि यह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम था या नहीं। चौथे प्रतिवादी ने यह कहकर अपना बचाव किया कि चौथे प्रतिवादी को दिया गया व्यक्तिगत पूर्वाग्रह बिना किसी आधार के है, क्योंकि चयन बोर्ड में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसे चुनने के लिए अपने कार्यालयों का उपयोग करता और याचिकाकर्ता को इस तरह के आक्षेप का सख्त सबूत देता है। याचिका में. अन्यथा वह मोटे तौर पर अपने स्वयं के कारण के लिए, 3डी प्रतिवादी के वकील द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन करता है।

(6) इस आशय के मामले के कानून की प्रधानता है कि उत्प्रेषण के विपरीत, किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर अधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं होती है जो सीधे तौर पर प्रभावित होता है। यथास्थिति के मामले में खड़े होने का नियम काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि, जिस क्षण कोई व्यक्ति यह बताता है कि सार्वजनिक पद का धारक उस पद को धारण करने के लिए योग्य नहीं है, तो इसका मतलब यह होगा कि किसी कार्यालय में हड़पने वाले को अनुमति नहीं दी जा सकती है। जारी रहेगा और यह अदालत का कर्तव्य होगा कि वह उसे उसके पद से हटा दे। इसलिए यह तथ्य कि याचिकाकर्ता स्वयं इस पद के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं था, अप्रासंगिक है। मैं लैचेस के मुद्दे को भी किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं मानूंगा, क्योंकि जब तक कोई नई योग्यता प्राप्त नहीं की गई है, एक व्यक्ति जो किसी पद पर है, यदि वह योग्य नहीं है तो वह किसी भी लम्बाई तक अपनी स्थिति को वैध नहीं बना सकता है। लैचेस का मुद्दा भी महत्वपूर्ण नहीं है।

(7) ऐसे मामले हैं जिनमें "सार्वजनिक कार्यालय" की परिभाषा की जांच की गई है, क्योंकि, इसे कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और यह केवल केस कानून के माध्यम से

संचालित होता है। ऐसी स्थिति में दो परीक्षण लागू किए गए हैं। एक परीक्षण यह है कि यह राज्य का एक कार्यालय या उसका पदाधिकारी है जो राज्य के संप्रभु कार्य से जुड़ा हुआ है। न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से संप्रभु कार्य स्वयं काफी बड़े पैमाने पर हो गया है, क्योंकि, रक्षा और विदेशी मामलों के मुद्दों को छोड़कर कोई भी गतिविधि नहीं है जो राज्य के विशेष क्षेत्र में है। प्रत्येक अन्य गतिविधि में निजी उद्यम सक्रिय रूप से सहयोग करता है। यहां तक कि शिक्षा, जो कुछ समय पहले तक केवल राज्य शासन का विशेषाधिकार थी, निजी उद्यम के माध्यम से बड़े पैमाने पर संचालित होने लगी है। स्वास्थ्य के सर्वोत्तम संस्थानों पर अब राज्य का एकाधिकार नहीं रह गया है। शैक्षणिक संस्थानों में निजी विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों ने अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित किया है और शायद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों की तुलना में अधिक अनुसंधान परिणाम दिए हैं। यदि राज्य का संप्रभु कार्य स्वयं उत्तर नहीं दे सकता है, तो दूसरा दृष्टिकोण यह है कि सेवा अनुच्छेद 311 के अधीन है जो वैधानिक नियमों द्वारा शासित एक नागरिक पद है। भले ही एक कुलपति या एक रजिस्ट्रार एक सिविल सेवक नहीं हो सकता है, उसी तरह जैसे राजस्व विभाग में कोई अन्य निम्नतम श्रेणी का सरकारी कर्मचारी या एक तहसीलदार या एक राजस्व निरीक्षक। इस मामले में कानून प्रचलित है कि विश्वविद्यालयों के कुलपति और रजिस्ट्रार का पद वैधानिक कार्यालय है, जिसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाले संबंधित कानून अनिवार्य रूप से निर्धारित करते हैं। इसलिए, यदि एक विश्वविद्यालय एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और यह कार्यालय की श्रेणियां बनाता है या विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयों के कार्यों को चित्रित करता है जो विश्वविद्यालय की प्रशासनिक मशीनरी चलाएंगे, तो यह एक सार्वजनिक कार्यालय के रूप में योग्य होगा।

(8) इसलिए, अब परीक्षण यह होगा कि क्या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार भी इस तरह के विचार के लिए योग्य होगा। एक विश्वविद्यालय संसद या राज्य विधानमंडल के एक

अधिनियम द्वारा स्थापित क़ानून का प्राणी है। एक डीम्ड विश्वविद्यालय वह है जिसे यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत पारित यूजीसी के एक आदेश द्वारा एक विश्वविद्यालय माना जाता है। ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों को अपने आप में मान्यता प्राप्त है और इसके लिए किसी अन्य एजेंसी से किसी अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निश्चित रूप से अभी भी किसी अन्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के रूप में ही माना जाना चाहिए और यह तथ्य कि इसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा नहीं की गई थी, इससे शायद ही कोई फर्क पड़ेगा।

(9) हमने कानून की जांच की है कि अधिकार-वारंट केवल एक सार्वजनिक कार्यालय के हड़पने वाले को जारी किया जाता है, जो बिना अधिकार के एक पद रखता है और जिसकी नियुक्ति पदों पर कब्जा करने के लिए योग्यता या पात्रता की कमी के कारण संदिग्ध है। मैंने जिन सभी निर्णयों की जांच की है, जब अधिकार वारंट जारी किया जा सकता है, तो असाधारण रूप से यह माना गया है कि अधिकार वारंट के लिए रिट याचिका एक सीमित याचिका है, जिसे केवल तभी जारी किया जा सकता है जब नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत हो (देखें: **बी. श्रीनिवास रेड्डी बनाम कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड कर्मचारी संघ और अन्य**[2])। निर्धारित पात्रता मानदंड एक वैधानिक नियम के संदर्भ में होना चाहिए जो रजिस्ट्रार के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित करता है। प्रॉस्पेक्टस या विज्ञापन में एक आवश्यकता को स्वयं के रूप में नहीं लिया जा सकता है वैधानिक आदेश। बी. श्रीनिवास रेड्डी (सुप्रा) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस आधार पर कोई भी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है कि भले ही नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत नहीं थी, लेकिन यह प्रशासनिक निर्देशों के विपरीत थी। सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर पिछले मामले

[2] (2006) 11 SCC 731

के कानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि कथित उल्लंघन वैधानिक प्रकृति का नहीं है तो यथास्थिति झूठ नहीं बोलती है। हस्तक्षेप के लिए कोई वारंट नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता की चुनौती महत्वपूर्ण परीक्षण में विफल रहती है जो आवश्यक है उनके पक्ष में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए. रिट याचिका खारिज की जाती है.

एस गुप्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा